वकुलाय उपस्थित। बहस पर० सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 31.1.18 को पेश हो।

SDOK

वकुलाय उपस्थित। प्रा० पत्र प्रार्थी WS 8/2 रिवीज़न अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शा०/मे० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सुनाया।

SDOK

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/35/2011

वउनवान

1. बुद्दाराम पुत्र रामसिंह (मृतक) जरिये वारिसान

1/1. रतनीदेवी वेवा वुद्दाराम जाति मीना निवासी रामपुरा

1/2 कैलाशचन्द पुत्र बुद्दाराम जाति मीना निवासी रामपुरा

1/3 जगवीरसिंह पुत्र बुद्दाराम जाति मीना निवासी रामपुरा

1/4 प्रहलादसिंह पुत्र वुद्दाराम जाति मीना निवाासी रामपुरा

1/5 मिश्रीदेवी पुत्री वुद्दाराम जाति मीना निवासी रामपुरा

1/6 मेवाराम पुत्री बुद्दाराम जाति मीना निवासी रामपुरा

तहसील कठूमर जिला अलवर

——— सायलान

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र चन्द्रभान उर्फ चन्दर जाति ब्राहमण

निवाासी वहरामपुर तहसील कठूमर

——— गैरसायल

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री तेजसिह राठी एडवोकेट : वकील सायलान

श्री संजय अवस्थी एडवोकेटः वकील गैरसायल

आदेश

दिनांक 31.01.2018

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 599 रकवा 0.76 हे., ग्राम रामपुरा तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी गैरसायल एंव प्रतिवादीगण के पिता श्री चन्द्रभान

Scanned by CamScanner

उर्फ चन्दर के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जो गैरसायल एंव प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है। गैरसायल के पिता चन्द्रभान को पैसों की आवश्यकता थी जिस गर्ज को पूरी करने के लिये चन्द्रभान ने स्वंय के जीतेजी दिनांक 29.10.2001 को विवादित आराजी वो खसरा नम्बर 598 वाके ग्राम वहरामपुर को तीन लाख छियालीस हजार रूपये में विक्रय कर दिया वो विक्रय के मद्दे दो लाख छियालीस हजार रूपये बतौर साई दिनांक 29.10.2001 को सवायल से प्राप्त कर लिये तथा करार रजिस्ट्री वैसाख सुदी 15 संवत् 2059 रखा गया तथा यह तय हुआ कि चन्द्रभान बकाया एक लाख रूपये लेकर करार पर सायल के हक में रजिस्ट्री करा देगा। जिस बाबत चन्द्रभान ने एक 100 रूपये के स्टाम्प व एक पाइप पेपर पर विजयपाल जैन अर्जीनवीश से एग्रीमेंण्ट वय सायल के हक में तहरीर वो तकमील करवाकर वो स्वंय के हस्ताक्षर वो गवाहान की गवाही कराकर नोटरी से तस्दीक करवाकर सायल के हवाले कर दिया। करार पर चन्द्रभान द्वारा सायल के हक में बयनामा रजिस्टर्ड नहीं कराने पर सायल द्वारा कई बार चन्द्रभान से बकाया रकम लेकर वयनामा रजिर्स्ट्र कराने का निवेदन किया लेकिन बयनामा रजिस्टर्ड नहीं कराया। इसके बाद चन्द्रभान मर गया तथा विवादित आराजी जरिये विरासत गैरसायल वो प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई। विरासत खुलने के वाद सायल ने गैरसायल एंव प्रतिवादीगण से रजिस्ट्री कराने वावत कई वार कहा जिस पर तरतीवी प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 599 के 1/2 हिस्से का रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 29.01.2002 को सायल के हक में रजिस्टर्ड करा दिया तथा असल प्रतिवादीगण एंव गैरसायल के बेईमानी आ गई तथा उन्होंने दिनांक 05.12.2010 को रजिस्ट्री कराने से मनाकर दिया जिस बाबत अलग से सायल कार्यवाही कर रहा है। रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर व कब्जे के आधार पर सायल के नाम 1/2 हिस्से इन्तकाल संख्या 149 तस्दीक हो गया तथा सायल 1/2 हिस्से का खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया तथा आज भी सायल

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

वहैसियत खातेदार काश्तकार विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। खसरा नम्बर 599 वावत गैरसायल ने एक राजस्व वाद पेश कर उक्त आराजी की अदालत से अपने नाम डिक्री कराकर खातेदारी दर्ज कराली। जिसमें सायल को पक्षकार नहीं बनाया इस वजह से उक्त डिक्री शून्य नल एण्ड बॉयड व प्रभावहीन है। गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर गैरसायल सायल के विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है तथा विवादित आराजी से सायल को वेदखल कर खुद कब्जा करना चाहते है। जवकि गैरसायल को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि गैरसायल अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गया तो सायल को अपार हानि क्षति व असुविधा होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना–पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में सावित है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 599, 520 वाके ग्राम रामपुरा तहसील कठूमर में सायल के काश्तकारी कार्य करने में किसी किस्म की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करने जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करने वावत पाबन्द कराने वावत गैरसायल को की प्रार्थना की है।प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव पेश कर कथन किया कि ईकरारनामा के आधार पर सायल को विवादित आराजी वावत किसी तरह के हक वो अधिकार पैदा नहीं होते। सायल ने प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्य गलत एंव मिथ्या दर्ज कराये है। विवादित आराजी पर सायल का कब्जा नहीं है। माननीय न्यायालय की डिकी को शून्य करार दिलाने का सायल को अधिकार नहीं है। डिक्री पालना की सायल को पूर्व से ही जानकारी है। सायल विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा की खातेदारी दजर्ह कराने का अधिकार नहीं रखता है। सायल को डिकी वावत एतराज है तो उसे सक्षम अदालत में अपील पेश करनी चाहिए। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायल गैरसायल

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

को किसी तरह से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है। तमाम तथ्य गलत होने से प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ इन्तकाल संख्या 147, 149, 177 नकल जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067, नकल वयनामा दिनांक 29.01.2002, नकल निर्णय दिनांक 7.5.2002, नकल संशोधित पर्चा डिक्री दिनांक 20.06.2002, ईकरारनामा दिनांक 29.10.2002 की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि खसरा नम्बर 599 वाके ग्राम रामपुरा गैरसायल के पिता चन्द्रभान उर्फ चन्दर के कब्जें काश्त खातेदारी की आराजी थी। चन्द्रभान ने विवादित आराजीयात को सायल को जरिये ईकरारनामा विक्रय पत्र तस्दीक करवाया। गैरसायल ने ईकरारनामा के आधार पर सायल के पक्ष में बयनामा करवाने का वादा किया एंव भूमि मौके पर मौके पर कब्जा दिया है। सायल 1/2 हिस्से का खातेदारी रेकार्ड में है। निर्णय दिनांक 07.05.2002 व संशोधित डिक्री 20.06.2002 से प्रतिवादी ने उक्त आराजी अपने नाम कराली। डिक्री वेअसर है मौके पर सायल का कब्जा है। कथनों की पुष्टि में राजस्व रेकार्ड पेश किया है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायल को पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल ने अधिवक्ता सायल के तथ्यों का विरोध करते हुये अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने जवाव प्रार्थना पत्रों को दोहराते हुये कथन किया कि सायल ने दावा ईकरारनामा के आधार पर खातेदारी दर्ज कराने वावत अदालत श्रीमान में पेश किया है। 100 रूपया के स्टाम्पर पर किये गये ईकरारनामा के आधार पर राजस्व वाद राजस्व अदालत में नहीं चल सकता। सायल अपने हक वो अधिकार सिविल न्यायालय से तय कराये। अन्य दावा नियमानुसार डिक्री हुआ है। जिस वावत इजराय व दखल

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

की कार्यवाही की गई है। नियमानुसार प्रशासन ने गैरसायल का कब्जा दिलाया है। जिस वावत समस्त दस्तावेज पेश किये है। पूर्व निर्णित दावों की सायल को अपील करनी चाहिए। कोई फर्जीबाडा नहीं है। सायल ने समान अनुतोष वावत वाद इन्हीं खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में न्यायालय एडीजे साहव लक्ष्मणगढ के न्यायालय में पेश किया था जो खारिज हो गया। प्रकरण पर रेसजुडिकेटा भी लागू होता है। कथनों की पुष्टि में सायल ने पत्रावली पर छाया प्रति पत्र कमांक 2016/2213, मौका पर्चा दिनांक 09.12.2016, एफ आई आर संख्या 176/17 थाना खेरली किता 4, एफ आई आर संख्या 266/17 थाना खेरली किता 2,राजस्व वाद संख्या 1/109 वउनवान रमेश बनाम चन्द्रभान, उक्त दावा का जवाव दाव, उक्त वाद का निर्णय दिनांक 07.05.2002, पर्चा डिक्री न्यायालय उप जिला कलेक्ट्र कठूमर, अपील संख्या 28/03 वउनवान रामचरण बनाम रमेश वगैरा का निर्णय दिनांक 10.08.2004, डिक्री अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर, प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 07.09.2011 न्यायिक मजिस्ट्रेट कठूमर, एफ आई आर संख्या 05/2017 पुलिस थाना खेरली, एफ आई आर संख्या 112/05 थाना खेरली, तहसील कार्यालय में दिनांक 17.03.2005 में बाजरे सुपुर्दगी की तहरीर, आदेशिका दिनांक 17.06.2005 न्यायालय सिविल जज क.ख. कठूमर, निर्णय दावा संख्या 25/2011 वउनवान बुद्याराम वगैरा बनाम रमेश वगैरा न्यायालय ए डी जे लक्ष्मणगढ दिनांक 03.02.2017,उक्त निर्णय की पर्चा डिक्री, वाद संख्या 3/25/04 वउनवान दुलारी वगैरा बनाम रमेश वगैरा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर की छाया प्रतियां पेश की है। सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। सायल को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :–

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

3. ना–पूर्ति होने वाली क्षति

उक्त विन्दुओं पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार से है।

पत्रावली के तथ्यों पत्रावली में संलग्न जवाव दर0 राजस्व रेकार्ड दस्तावेजात का अवलोकन किया। सायल ने ईकरारनामा के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 599 रकवा 0.76 हे. वाके ग्राम रामपुरा के 1/2 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने वावत पेश किया है। ईकरारनामा के आधार पर सायल अपने नाम खातेदारी राजस्व अदालत से अपने नाम घोषित करा सकते है यह प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु नहीं है। जमाबन्दी हाल के अवलोकन से विवादित आराजी गैरसायल की खातेदारी में दर्ज है। गैरसायल विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। कानूनन सायल एक खातेदार काश्तकार को पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है। यदि गैरसायल को पाबन्द किया जाता हे तो उसे नुकशान क्षति व असुविधा होना संभव है। सायल को किसी तरह का नुकशान क्षति या असुविधा हो रही हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रार्थना पत्र के तीनों विन्दु गैरसायल के पक्ष में सावित होते है। सायलान अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहे है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 31.01.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner